

संख्या 1164 / 11(2)2018-04(11) / 2010टीसी-I

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 18 जून, 2018

विषय

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत सौंग बांध परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1792/प्र0अ0/बजट/बी-1 (सामान्य) दिनांक 08 मई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौंग बांध परियोजना के सम्बंध में दिनांक 23.04.2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत व्यय वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय/संस्तुति के क्रम में सौंग बांध परियोजना के निर्माण हेतु निर्माण से पूर्व के कार्य/प्रक्रियाओं एवं अनापत्तियां प्राप्त किये जाने हेतु प्रश्नगत कार्य की कुल लागत रु0 3960.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किस्त के रूप में संलग्न विवरणानुसार रु0 1960.00 लाख (रु0 उन्नीस करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जानी की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना से सम्बन्धित भू-विज्ञान अनुसंधान अध्ययन, वन भूमि हस्तान्तरण एवं पुनर्वास हेतु वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ii) परियोजना के डी0पी0आर को किसी ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से अध्ययन/पुनरीक्षित कर आई0आइ0टी0 से विधीक्षित कराकर समयान्तर्गत पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।
- (iii) वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर पुनरीक्षित डी0पी0आर निर्धारित समय 4 माह के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाय।
- (iv) माह अगस्त के अंत तक सौंग बांध परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) जिसमें समस्त अनुमोदित कार्य पूर्ण करने के उपरान्त विस्तृत आगणन प्रशासकीय विभाग द्वारा समस्त औपचारिकतायें (वित्तीय एवं तकनीकी) पूर्ण करने के उपरान्त पुनः व्यय वित्त समिति में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (v) उक्त कार्य हेतु राज्य योजना आयोग के तकनीकी सलाहकारों का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

CE(DM)
SE(Project)

(vi)

580(B) / वि
A2

10/6/18

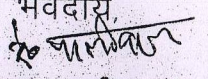
प्रश्नगत कार्य हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

...2...

- (vii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (viii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- (ix) स्वीकृत धनराशि का सम्बन्धित संस्था को भुगतान प्रमुख अभियन्ता द्वारा किया जाय।
- (x) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के राजस्व मद में अनुदान संख्या-20 के लेखा शीर्षक 2700-मुख्य, सिंचाई -01 सौंग बांध परियोजना-800 अन्य व्यय-02 सौंग बांध परियोजना हेतु अन्य व्यय -42-अन्य व्यय कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

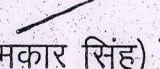
3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 211/XXVII(2)/2018, दिनांक 14 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

 (देवेन्द्र पालीवाल)
 अपर सचिव।

संख्या- (1)/ 11(2)2018-04(11)/2010टीसी-I तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. वित्त नियंत्रण सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

 (ओमकार सिंह)
 संयुक्त सचिव।